

मु.न.-.....//...../2023 /

रघुवीरसिंह पुत्र किसन सिंह जाति राजपुत निवासी पूनरास तहसील तारानगर जिला चूरु।

- प्रार्थी -

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 138 लैण्ड रेवन्यू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

- अप्रार्थी -

दिनांक 09/01/24

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि रोही पूनरास तहसील तारानगर के खसरा सं. 137 तादादी 6.5754 हेक्टेयर, खसरा सं. 143 तादादी 6.6386 हैक्ट., खसरा सं. 404/323 तादादी 14.5418 हैक्ट. कुल तादादी 27.7558 हैक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम रुघसिंह पुत्र किशन सिंह अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थी का नाम रघुवीरसिंह पुत्र किसन सिंह सही हैं। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम रघुवीर सिंह पुत्र किसन सिंह है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। जमाबन्दी में अपना नाम दुरुस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरुस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही पूनरास तहसील तारानगर के खसरा सं. 137 तादादी 6.5754 हेक्टेयर, खसरा सं. 143 तादादी 6.6386 हैक्ट., खसरा सं. 404/323 तादादी 14.5418 हैक्ट. कुल तादादी 27.7558 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम रघुवीर सिंह पुत्र किसन सिंह किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दियें प्रार्थना पत्र आई पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट भू.अ.नि. भालेरी के अनुसार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाना हता है। अब प्रार्थी अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के धार पर प्रार्थी अपना नाम रुघसिंह पुत्र किशन सिंह की जगह रघुवीर सिंह पुत्र किसन सिंह करवाना हता है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रुघसिंह पुत्र किशन सिंह ही दर्ज है। अतः प्रार्थी रुघसिंह पुत्र किशन सिंह की जगह रघुवीर सिंह पुत्र किसन सिंह दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया भू.अ.नि. भालेरी की रिपोर्ट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पृष्टि होती अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही पूनरास तहसील तारानगर के खसरा सं. 137 तादादी 6.5754 हेक्टेयर, खसरा सं. 143 तादादी 6.6386 हैक्ट., खसरा सं. 404/323 तादादी 14.5418 हैक्ट. कुल तादादी 27.7558 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि रुघसिंह पुत्र किशन सिंह अंकित कर इसके स्थान पर रघुवीर सिंह पुत्र किसन सिंह अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फौसल शुमार होकर खल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/01/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Sundip
(सन्दीप चौधरी आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरु)